



# वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू०वि०वि०/डी०एस०डब्ल्यू/118/2025-26  
प्रेषक,

दिनांक : 04.04.2025

अधिष्ठाता छात्र कल्याण  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।

सेवा में,

- ✓ 1-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष  
परिसर पाठ्यक्रम  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।
- 2-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या  
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय  
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय  
जौनपुर।

विषय: मा० दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 के u/s 75 & 77 के संख्या-CCPD/16037/1033/2025  
2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सहायक शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के पत्र संख्या-डिग्री विकास/2627/2024-25 दिनांक 26.03.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो मा० न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार के नोटिस दिनांक 07.03.2025 एवं दिनांक 18.03.2025 जो Suo-Motu बनाम हेड बाफ डिपार्टमेन्ट, (मुख्य सचिव/अपर मुख्य/प्रमुख सचिव/सचिव) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार है, के संदर्भ में मा० न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार, नई दिल्ली में उक्त प्रकरण की सुनाई दिनांक 24.03.2025 अपरान्ह 02:30 बजे हुई के सम्बन्ध में है। जिसके द्वारा मा० न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार नई दिल्ली के आदेश के क्रम में भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण अविलम्ब करने का निर्देश/आदेश दिया गया है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपने विभाग/महाविद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्रों का छात्रवृत्ति आवेदन फार्म ससमय अग्रसारित हो गया है सुनिश्चित करें साथ ही छात्रवृत्ति प्राप्त होने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे छात्र की समस्या का समय से निस्तारण किया जा सके।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

*Admnl*  
04/04/25

अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपि:-

- 1-निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
- 2-वरि० आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
- 3-उप कुलसचिव, छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण



ई-मेल

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)  
डिग्री विकास अनुभाग  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।



सेवा में,

- 1- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्राचार्य, समस्त राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त / स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।



पत्रांक: डिग्री विकास / 2627 / 2024-25 दिनांक- 26 / 03 / 2025  
विषय: मा० दिव्यांगजन के अधिकार अधिनियम 2016 के u/s 75 & 77 के के संख्या- CCPD / 16037/ 1033/ 2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार के नोटिस दिनांक- 07.03.2025 एवं दिनांक- 18.03.2025 जो Suo-Motu बनाम हेड आफ डिपार्टमेंट, (मुख्य सचिव/ अपर मुख्य/ प्रमुख सचिव/ सचिव) शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार है, के संदर्भ में मा० न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार, नई दिल्ली में उक्त प्रकरण की सुनवाई दिनांक- 24.03.2025 अपराह्न 02:30 बजे सुनवाई हुई।

मा० न्यायालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्तियों के लम्बित आवेदन पत्रों को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्था के स्तर पर निस्तारण अविलम्ब सुनिश्चित करें। प्रकरण निस्तारण न होने की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

26/3/25  
27/3/25

अशिष्टाचार  
दाखिलेमाता  
M

भवदीय,

डॉ०(अजीत कुमार सिंह)  
सहायक निदेशक, (उ०शि०)  
कृते- शिक्षा निदेशक (उ०शि०)  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

26/3/25 पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास/ 2627-29 / उसी तिथि को।  
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-03 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- नोडल अधिकारी, एन०पी० उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Dr. Manoj Kumar  
For N. S.  
29/03/25

डॉ०(अजीत कुमार सिंह)  
सहायक निदेशक, (उ०शि०)  
कृते- शिक्षा निदेशक (उ०शि०)  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

0/c  
26/3/25